



राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश



डीजी परिपत्र संख्या-45/2026
यक्ष परिपत्र संख्या- 14/2026
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०

सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ - 226002
फोन नं. 0522-2724003 / 2390240, फैक्स नं. 0522-2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई-मेल : police.up@nic.in
वेबसाइट : https://uppolice.gov.in

दिनांक- सितम्बर 30, 2026

प्राथमिकता - 1

Zero Tolerance against
Crime and Criminals

प्रिय महोदय/ महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि यक्ष ऐप वर्तमान में अपराध एवं अपराधियों की निगरानी, सत्यापन तथा उनके सम्बन्ध में उपलब्ध सूचनाओं को एकीकृत रूप से संकलित करने हेतु प्रदेश में प्रयोग किया जा रहा है। यक्ष ऐप में अपराधियों के आपराधिक इतिहास के साथ-साथ Photo, Voice Sample एवं अन्य महत्वपूर्ण विवरण संकलित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

पूर्व में निर्गत यक्ष परिपत्रों के माध्यम से भी अपराधियों की फीडिंग/सत्यापन के समय उच्च गुणवत्ता का Voice Sample यक्ष ऐप पर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिससे भविष्य में Voice Search/Voice Matching एवं AI आधारित विश्लेषण को प्रभावी बनाया जा सके।

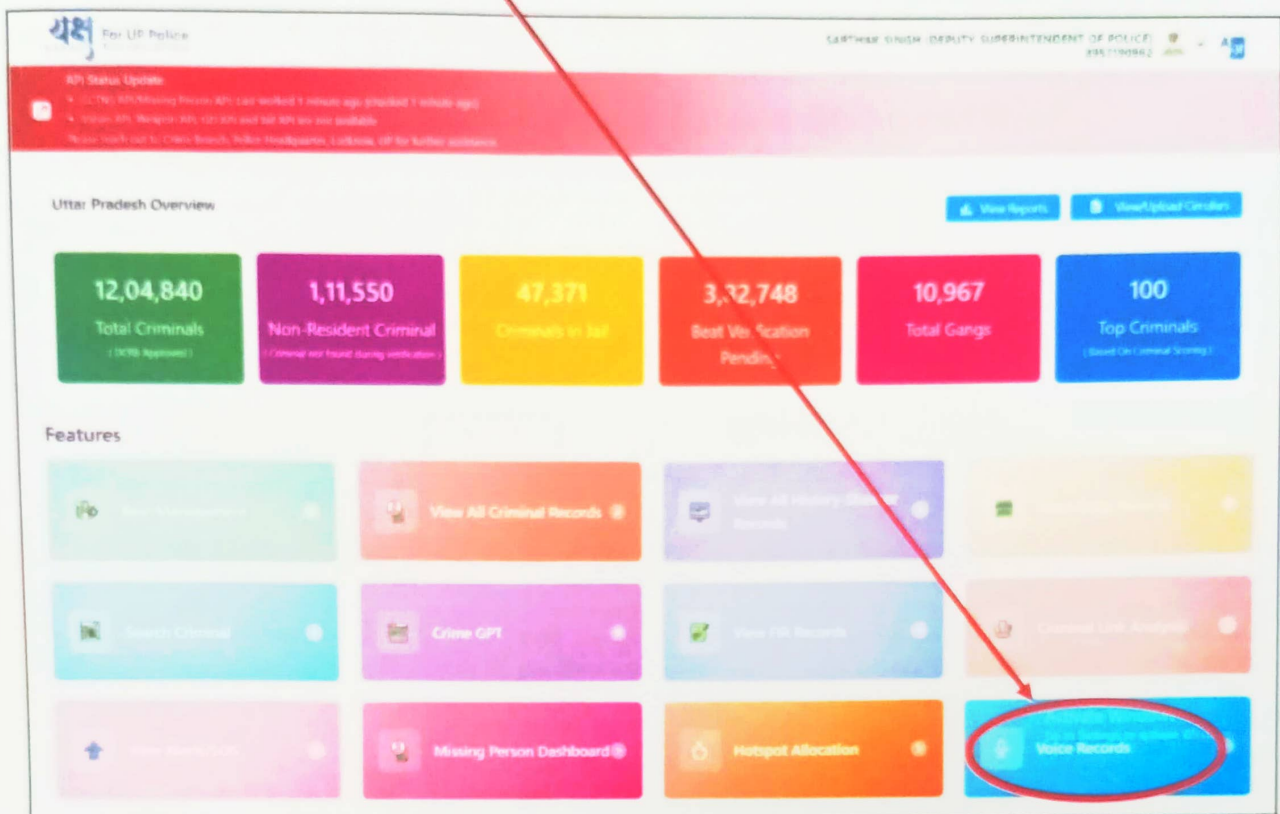
इसी क्रम में साइबर अपराधों के साथ-साथ जबरन वसूली, फिरौती हेतु अपहरण तथा अन्य महत्वपूर्ण अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की Voice Recording को यक्ष ऐप पर अपलोड किये जाने हेतु नवीन सुविधा विकसित कर Live कर दी गयी है। साइबर अपराधों में अभियुक्तों द्वारा मोबाइल कॉल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एवं अन्य डिजिटल माध्यमों का प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत उनका गुणवत्तापूर्ण Voice Data उपलब्ध होना भविष्य में अपराधियों की पहचान एवं विश्लेषण में उपयोगी होगा।

नोट:- साइबर थानों द्वारा साइबर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की Voice Recording यक्ष ऐप पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त, जनपदीय थानों द्वारा साइबर अपराधियों के साथ-साथ जबरन वसूली, फिरौती हेतु अपहरण तथा अन्य महत्वपूर्ण अपराधों में संलिप्त अपराधियों की Voice Recording यक्ष ऐप पर अपलोड की जायेगी।

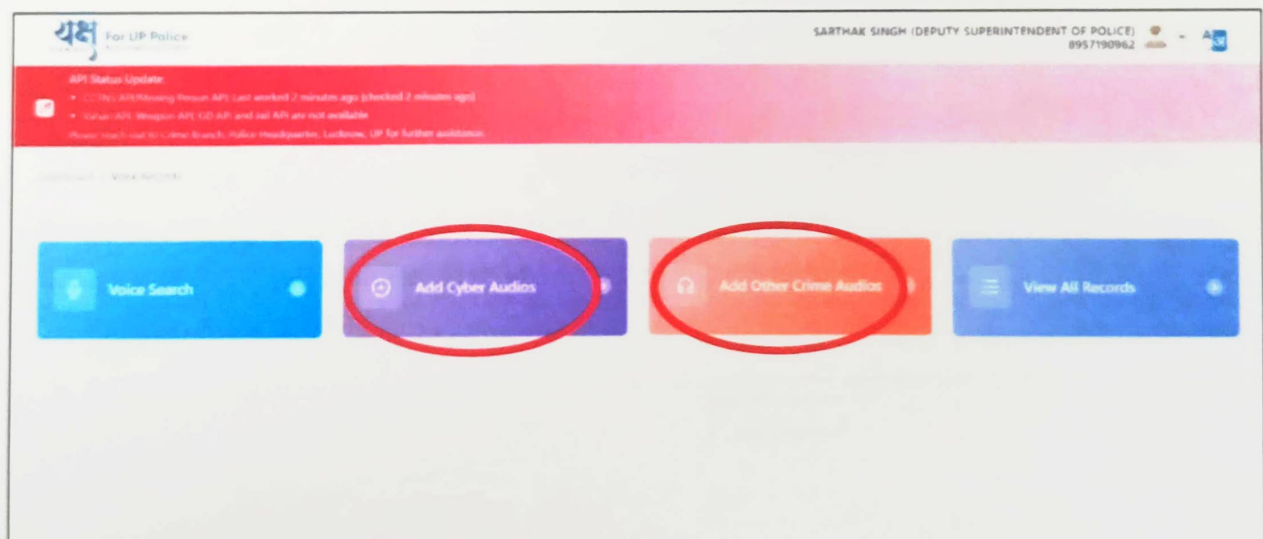
थाना स्तर पर अपराधियों की Voice Recording अपलोड करने की प्रक्रिया

डैशबोर्ड पर थाना प्रभारी के CUG No. के माध्यम से लॉगिन करते हुये साइबर अपराधियों एवं उसके साथ-साथ जबरन वसूली, फिरौती हेतु अपहरण तथा अन्य महत्वपूर्ण अपराधों में अपराधियों की Voice Recording अपलोड करने की प्रक्रिया निम्नानुसार की जायेगी-

- सर्वप्रथम डैशबोर्ड पर Voice Record Tile पर Click करना होगा।



- Voice Record Tile पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा,



- Module खुलने पर Voice Search, Add Cyber Audios, Add Other Crime Audios तथा View All Records के चार विकल्प प्रदर्शित होंगे। Voice Search का प्रयोग उपलब्ध Voice Sample के आधार पर खोज हेतु, Add Cyber Audios का प्रयोग साइबर अपराधियों की Voice Recording Upload करने हेतु, Add Other Crime Audios का प्रयोग जबरन वसूली, फिरोती हेतु अपहरण एवं अन्य महत्वपूर्ण अपराधों से सम्बन्धित Voice Recording Upload करने हेतु तथा View All Records का प्रयोग Upload किये गये Voice Records के अवलोकन हेतु किया जायेगा।

Cyber Audio Upload करने की प्रक्रिया-

- साइबर अपराधियों की Voice Recording अपलोड करने हेतु Add Cyber Audios पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा, जिसमें साइबर अपराधी की Voice Recording को FIR Number / NCRP Number के आधार पर **Voice Sample** अपलोड कर सकते हैं।

यश For UP Police

SARTHAK SINGH DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE 8957180952

Add Cyber Audios

FIR Number NCRP Number

FIR Date

District Thana

Voice Recording

Note: Select/Record audio of at least 30 seconds

Select Voice Sample Record Voice Sample

Remark

Save Record

- FIR Number Tab का चयन करें एवं सम्बन्धित FIR Number एवं FIR Date अंकित करें तथा District एवं Thana का सही चयन सुनिश्चित करें। इसके पश्चात कम से कम 30 सेकण्ड का स्पष्ट **Voice Sample “Select Voice Sample”** के माध्यम से Upload करें।
- इसी प्रकार NCRP Number होने की दशा में NCRP Number अंकित करते हुये कार्यवाही की जायेगी। स्क्रीनशॉट निम्नवत है-

FIR Number NCRP Number

NCRP Number

District Thana

Voice Recording

Note: Select/Record audio of at least 30 seconds

Select Voice Sample Record Voice Sample

Remark

Save Record

- Voice Sample Upload करने के उपरान्त आवश्यक Remark दर्ज करते हुये Save Record पर Click करने पर Record Save हो जायेगा।

Other Crime Audio Upload करने की प्रक्रिया-

- जबरन वसूली, फिरौती हेतु अपहरण तथा अन्य महत्वपूर्ण अपराधों में संलिप्त अपराधियों की Voice Recording Upload करने हेतु Add Other Crime Audios Option पर Click करने पर निम्न स्क्रीन प्रदर्शित होगा, जिसमें **Crime Type** (जबरन वसूली/ फिरौती हेतु अपहरण/ अन्य महत्वपूर्ण) का चयन करते हुये **FIR Number** (अनिवार्य बाध्यता नहीं) के आधार पर Voice Sample अपलोड कर सकते है।

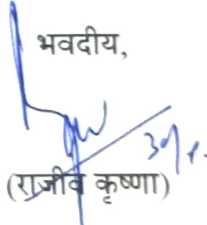
- Voice Sample Upload करने के उपरान्त आवश्यक Remark दर्ज करते हुये Save Record पर Click करने पर Record Save हो जायेगा।

नोट:- अपराधी की Voice Recording अपलोड करते समय यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाये कि अपलोड किया जाने वाला **Voice Sample** संबंधित अपराधी का ही हो। यदि उपलब्ध Voice Recording में अपराधी एवं शिकायतकर्ता के मध्य हुई बातचीत सम्मिलित है, तो ऐसी Recording में से केवल अपराधी की आवाज वाले भाग को Crop/Extract करते हुये पृथक कर कम से कम 30 second का Audio Clip तैयार कर यक्ष ऐप पर अपलोड किया जाये। शिकायतकर्ता की आवाज को अपराधी के Voice Sample के रूप में किसी भी दशा में अपलोड न किया जाये।

सम्बन्धित थाना प्रभारी/साइबर थाना प्रभारी एवं जनपद स्तर पर नामित पर्यवेक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यक्ष ऐप में उपलब्ध साइबर अभियुक्तों की Voice Recording निर्धारित प्रक्रिया एवं गुणवत्ता के अनुसार अपलोड की जा रही है तथा इस कार्य की नियमित समीक्षा की जाये।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों से सम्बन्धित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को भली-भांति अवगत कराते हुए साइबर थानों एवं जनपदीय थानों द्वारा सम्बन्धित अपराधियों की गुणवत्तापूर्ण Voice Recording यक्ष ऐप पर अपलोड किये जाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही पर्यवेक्षण अधिकारी उक्त कार्यवाही की नियमित समीक्षा करते हुए यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सही अपराधी का स्पष्ट एवं गुणवत्तापूर्ण Voice Sample ही यक्ष ऐप पर अपलोड किया जाये।

यक्ष ऐप के माध्यम से की जाने वाली यह व्यवस्था भविष्य में अपराधियों की पहचान, Voice Search/Matching, संदिग्ध आवाजों के विश्लेषण तथा अपराधों के अनावरण एवं नियंत्रण से सम्बन्धित कार्यवाही को और अधिक प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / जनपद प्रभारी उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक STF, उत्तर प्रदेश।
2. अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश